

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या :-6 / वि०पत्रा०-24-13 / 2026

पटना, दिनांक—

श्री दीनानाथ सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 26.05.2026 से 22.06.2026 तक कुल 28 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री दीनानाथ सिंह के अवकाश लेखा में (300-28=272) दो सौ बहतर दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 / वि०पत्रा०-24-13 / 2026 2188 / पटना, दिनांक—15/06/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना-800015 / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / विभागीय एडमिन, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य—कर उपायुक्त—सह—एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दीनानाथ सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग,
बिहार, पटना।